कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1290 /14-1, दिनांकःअलीगढ़, अक्टूबरः 18, 2021

सेवा में,

गुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः- जनपद-एटा के अन्तर्गत एटा रेलवे स्टेशन से 2 x 660 वाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना तक (19.603 किमी0) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली (0.3683 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 3.8386 आरक्षित वन भूमि) कुल 4.2069 हे0 भूमि का गैर वानिकी प्रयोग में 05 वृक्ष व 228 पौधे/झाड़ी के पातन की सक्षम स्तर से अनुमति के सम्बन्ध में। **(प्रस्ताव सं0-FP/UP/TRANS/47261/2020)**

सन्दर्भः- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य) के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/07/210/2021/एफ0सी0/364, दिनांक 03.09.2021

2-आपकी पृष्ठॉकन संख्या 798/11-सी 07.09.2021

3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा का पत्रांक-793/14-1, दिनांक 13.10.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), द्वारा की गयी आपत्ति के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के सन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) से सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं एन0आई0सी0 दिल्ली कार्यालय में सम्पर्क किया गया, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि के0एम0एल0 फाईल व सी0ए0 हेतु चिन्हित वन भूमि की टोपोसीट एवं जियोरिफ्रैंस मैप ऑन-लाईन अपलोड नही हो सकेगा ऐसी स्थिति में हार्ड कापी मे प्रस्तुत कर दें। तत्क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने आपत्तियों का निराकरण कर संस्तुति सहित 04 प्रतियों में प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर 03 प्रतियों मे संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया,

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1290/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन आगरा।

2- अधीक्षण अभियन्ता, जनपद निर्माण-द्वितीय, 2 x 660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मलावन, एटा (उ0प्र0)।

3- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

20 D/Dmah/11/Tah/47261 of 2020